GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DEPARTMENT OF DRINKING WATER & SANITATION

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 2
ANSWERED ON 22/07/2024

STATUS OF HAR GHAR JAL YOJANA

*2. SHRI NEERAJ SHEKHAR**:**

Will the Minister of JAL SHAKTI be pleased to state:

(a) the details of fund allocated, released, and utilized under Har Ghar Jal Yojana during 2023-24 and 2024-25, year-wise and State-wise;

(b) the details of targets and number of households covered under the scheme during 2023-24 and 2024-25 till 30th June, 2024, year-wise and State-wise; and

(c) the number of households targeted to be covered under the scheme during current financial year, State-wise?

ANSWER

THE MINISTER OF JAL SHAKTI
(SHRI C R PATIL)

(a) to (c) A statement is laid on the table of the House.

Statement referred in reply of Rajya Sabha Starred Question No. 2 for reply on 22.07.2024

(a) Government of India in partnership with States, is implementing Jal Jeevan Mission (JJM) – Har Ghar Jal to make provision of tap water supply to every rural household. The year-wise and State/ UT-wise details of fund allocated, released and utilized under JJM during 2023-24 and 2024-25 (as on 16.07.2024) is at **Annex-I**.

(b) & (c) At the time of announcement of Jal Jeevan Mission in August 2019, 3.23 Crore (17%) rural households were reported to have tap water connections. All the remaining rural households at the time of launch of the Mission were targeted for providing tap water connection. As reported by States/ UTs, 8.39 Crore rural households were provided with tap water connections till 2022-23. Further, in 2023-24, nearly 3 Crore households and in 2024-25 (till 30.06.2024), 31.28 lakh households have been provided tap water connection. Thus, as on 30.06.2024, out of 19.30 Crore rural households in the country, 14.93 Crore (77.31%) households were reported to have tap water supply in their homes.

State/ UT wise details of targeted/ remaining rural households and households provided with tap water connections till 2022-23, in 2023-24 and in 2024-25 till 30.06.2024 are at **Annex-II.**

*****

Annex-I

Annex referred to in Rajya Sabha Starred Question No. 2 to be answered on 22.07.2024

Jal Jeevan Mission: Central fund allocated, drawn by the States and reported utilization in 2023-24

(Amount in Rs. Crore)

S. No.	State/ UT	Central share					Expenditure under State share
		Opening Balance	Fund allocated	Fund drawn	Available fund	Reported utilization	
1.	A & N Islands	2.20	7.52	3.76	5.96	0.99	-
2.	Andhra Pr.	397.70	6,530.49	793.57	1,191.27	862.09	940.04
3.	Arunachal Pr.	284.30	1,057.11	771.21	1,055.51	1,016.78	125.79
4.	Assam	2,447.47	10,351.68	6,204.00	8,651.47	7,870.90	866.11
5.	Bihar	54.95	-	ND	54.95	NR	NR
6.	Chhattisgarh	273.99	4,485.60	2,885.56	3,159.55	2,639.44	2,627.64
7.	Goa	0.92	11.25	11.25	12.17	11.76	11.25
8.	Gujarat	1,088.66	2,982.85	2,237.14	3,325.80	2,377.83	2,676.40
9.	Haryana	100.67	1,053.44	526.72	627.39	589.79	687.56
10.	Himachal Pr.	547.72	379.67	402.34	950.06	859.96	98.38
11.	J&K	903.84	9,611.31	3,267.12	4,170.96	3,510.52	364.69
12.	Jharkhand	529.38	4,722.76	2,875.35	3,404.73	3,140.70	3,291.53
13.	Karnataka	1,182.78	12,623.37	4,966.62	6,149.40	5,239.07	6,017.19
14.	Kerala	900.69	1,342.36	671.18	1,571.87	1,465.41	1,448.53
15.	Ladakh	280.68	477.11	131.07	411.75	346.73	-
16.	Lakshadweep	9.25	39.63	19.82	29.07	NR	-
17.	Madhya Pr.	1,060.06	10,297.86	5,419.90	6,479.96	6,388.57	6,390.54
18.	Maharashtra	2,363.74	21,465.88	7,444.26	9,808.00	8,208.53	8,371.34
19.	Manipur	164.42	110.54	ND	164.42	119.49	18.75
20.	Meghalaya	369.04	3,567.25	1,500.00	1,869.04	1,572.14	171.69
21.	Mizoram	121.27	425.46	303.10	424.37	416.52	43.77
22.	Nagaland	19.57	366.86	314.90	334.47	293.35	44.02
23.	Odisha	799.32	2,108.54	2,108.54	2,907.86	2,441.62	2,428.40
24.	Puducherry	5.40	15.39	1.00	6.40	6.39	0.62
25.	Punjab	-	479.02	119.76	119.76	103.79	166.43
26.	Rajasthan	3,431.61	3,019.94	250.00	3,681.61	2,899.24	3,904.02
27.	Sikkim	79.29	634.55	251.61	330.90	318.98	29.67
28.	Tamil Nadu	813.45	3,615.56	2,617.10	3,430.55	2,607.29	2,601.54
29.	Telangana	26.06	-	ND	26.06	NR	NR
30.	Tripura	227.01	1,773.40	744.18	971.19	860.09	105.25
31.	Uttar Pr.	2,812.52	20,884.45	16,947.00	19,759.52	19,087.04	20,269.16
32.	Uttarakhand	282.07	4,689.69	1,890.66	2,172.73	1,949.33	237.66
33.	West Bengal	1,751.06	3,806.29	4,206.29	5,957.35	5,004.16	5,155.11

DNH & DD does not avail fund

Source: JJM - IMIS ND: Not Drawn NR: Not Reported

Jal Jeevan Mission: Central fund allocated, drawn by the States and reported utilization in 2024-25
(As on 16.07.2024)

(Amount in Rs. Crore)

S. No.	State/ UT	Central share					Expenditure under State share
		Opening Balance	Fund allocated	Fund drawn	Available fund	Reported utilization	
1.	A & N Islands	4.97	2.98	ND	4.97	NR	-
2.	Andhra Pr.	329.17	2,520.97	ND	329.17	65.04	58.63
3.	Arunachal Pr.	38.73	217.82	32.67	71.40	15.36	0.01
4.	Assam	780.57	5,198.78	779.82	1,560.39	1,251.48	138.56
5.	Bihar	54.95	-	ND	54.95	NR	NR
6.	Chhattisgarh	520.11	1,277.27	ND	520.11	NR	NR
7.	Goa	0.40	4.32	ND	0.40	NR	NR
8.	Gujarat	947.97	2,420.14	ND	947.97	350.39	419.97
9.	Haryana	37.60	462.03	ND	37.60	3.83	7.49
10.	Himachal Pr.	90.10	916.53	ND	90.10	7.11	0.01
11.	J&K	660.43	2,112.86	ND	660.43	327.82	NR
12.	Jharkhand	264.03	2,114.22	ND	264.03	6.29	138.14
13.	Karnataka	910.33	3,804.41	ND	910.33	11.08	64.51
14.	Kerala	106.45	1,949.36	292.40	398.85	301.25	296.72
15.	Ladakh	65.02	624.78	ND	65.02	6.55	-
16.	Lakshadweep	29.06	0.75	0.11	29.17	NR	-
17.	Madhya Pr.	91.39	4,044.70	2,022.35	2,113.74	797.15	799.64
18.	Maharashtra	1,599.47	5,352.93	802.94	2,402.41	371.31	536.21
19.	Manipur	44.93	-	ND	44.93	10.58	0.94
20.	Meghalaya	296.90	653.60	ND	296.90	231.43	21.82
21.	Mizoram	7.85	45.09	ND	7.85	5.12	1.95
22.	Nagaland	41.12	39.75	ND	41.12	34.55	NR
23.	Odisha	466.24	2,455.94	ND	466.24	30.59	30.06
24.	Puducherry	0.01	12.58	ND	0.01	NR	NR
25.	Punjab	15.97	644.54	ND	15.97	0.24	NR
26.	Rajasthan	782.37	11,061.46	1,659.22	2,441.59	1,080.11	374.54
27.	Sikkim	11.92	124.50	ND	11.92	0.17	0.02
28.	Tamil Nadu	823.25	2,438.89	ND	823.25	534.84	541.18
29.	Telangana	26.06	-	ND	26.06	NR	NR
30.	Tripura	111.10	736.75	110.51	221.61	61.07	5.46
31.	Uttar Pr.	672.48	12,621.95	3,786.59	4,459.07	3,132.04	2,315.59
32.	Uttarakhand	223.40	1,016.80	152.52	375.92	67.31	NR
33.	West Bengal	953.19	5,049.98	1,514.99	2,468.18	1,015.58	1,029.51

DNH & DD does not avail fund

Source: JJM - IMIS ND: Not Drawn NR: Not Reported

Annex-II

Annex referred to in Rajya Sabha Starred Question No. 2 to be answered on 22.07.2024

State/ UT-wise details of targeted rural households and households provided with tap water connections 2023-24 and 2024-25

(as on 30.06.2024)

(Number in lakhs)

S. No.	State/ UT	Total rural HHs	Rural HHs with tap water connection as on 15/08/2019	Targeted/ remaining rural households in Aug. 2019	Rural HHs provided with tap water connections			Rural HHs with tap water supply	
					Till 22-23	In 23-24	In 24-25	No.	In%
1.	A & N Islands	0.62	0.29	0.33	0.33	-	-	0.62	100.00
2.	Andhra Pr.	95.45	30.74	64.70	35.43	3.86	0.06	70.11	73.45
3.	Arunachal Pr.	2.29	0.23	2.06	1.54	0.52	-	2.29	100.00
4.	Assam	71.42	1.11	70.31	30.83	22.95	2.19	57.09	79.76
5.	Bihar	166.30	3.16	163.14	155.92	1.27	-	160.35	96.08
6.	Chhattisgarh	50.00	3.20	46.80	17.72	18.05	0.24	39.21	78.33
7.	DNH and DD	0.85	0.00	0.85	0.85	-	-	0.85	100.00
8.	Goa	2.63	1.99	0.64	0.64	-	-	2.64	100.00
9.	Gujarat	91.18	65.16	26.02	26.02	-	-	91.18	100.00
10.	Haryana	30.41	17.66	12.75	12.75	-	-	30.41	100.00
11.	Himachal Pr.	17.09	7.63	9.46	9.17	0.29	-	17.09	100.00
12.	J&K	18.72	5.75	12.96	5.21	3.47	0.64	15.08	80.64
13.	Jharkhand	62.19	3.45	58.74	16.90	11.93	1.31	33.60	53.90
14.	Karnataka	101.15	24.51	76.64	42.92	9.23	1.82	78.48	77.59
15.	Kerala	70.80	16.64	54.16	16.83	3.67	0.54	37.68	53.17
16.	Ladakh	0.41	0.01	0.39	0.29	0.07	0.00	0.38	93.07

S. No.	State/ UT	Total rural HHs	Rural HHs with tap water connection as on 15/08/2019	Targeted/ remaining rural households in Aug. 2019	Rural HHs provided with tap water connections			Rural HHs with tap water supply	
					Till 22-23	In 23-24	In 24-25	No.	In%
17.	Lakshadweep	0.13		0.13	-	0.11	0.01	0.12	88.71
18.	Madhya Pr.	111.88	13.53	98.35	43.86	11.30	2.19	70.89	63.39
19.	Maharashtra	146.72	48.44	98.29	61.41	15.17	1.25	126.26	86.06
20.	Manipur	4.52	0.26	4.26	3.19	0.08	0.06	3.59	79.45
21.	Meghalaya	6.51	0.05	6.47	3.03	1.91	0.20	5.18	79.59
22.	Mizoram	1.33	0.09	1.24	1.01	0.23	-	1.33	100.00
23.	Nagaland	3.69	0.14	3.55	2.29	0.75	0.11	3.29	90.53
24.	Odisha	88.68	3.11	85.57	49.54	12.06	0.62	65.33	73.65
25.	Puducherry	1.15	0.94	0.21	0.21	-	-	1.15	100.00
26.	Punjab	34.18	16.79	17.39	17.39	0.00	0.00	34.18	100.00
27.	Rajasthan	106.93	11.74	95.19	27.10	12.18	3.17	54.19	50.61
28.	Sikkim	1.33	0.70	0.63	0.38	0.10	0.00	1.18	88.74
29.	Tamil Nadu	125.24	21.76	103.48	57.72	23.05	2.72	105.25	84.06
30.	Telangana	53.98	15.68	38.30	38.30	-	-	53.98	100.00
31.	Tripura	7.49	0.25	7.24	4.34	1.32	0.18	6.09	81.26
32.	Uttar Pr.	265.42	5.16	260.26	89.50	120.51	8.08	223.25	83.98
33.	Uttarakhand	14.54	1.30	13.24	10.09	2.25	0.12	13.77	94.76
34.	West Bengal	175.09	2.15	172.94	56.60	22.92	5.75	87.41	49.90
	Total	**19,30.33**	**3,23.63**	**16,06.70**	**8,39.33**	**2,99.26**	**31.28**	**14,93.50**	**77.31**

Delhi & Chandigarh have no rural population. Source: JJM – IMIS HH: Household

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 2*

दिनांक 22/07/2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

हर घर जल योजना की स्थिति

2*   श्री नीरज शेखरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान हर घर जल योजना के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान, 30 जून, 2024 तक उक्त योजना के लक्ष्यों और इसके अंतर्गत शामिल किए गए परिवारों की संख्या का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने परिवारों को शामिल किए जाने का लक्ष्य है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी आर पाटिल)

(क) से (ग): उत्तर का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 22.07.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) भारत सरकार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है। वर्ष 2023-24 और 2024-25 (16.07.2024 तक) के दौरान जेजेएम के तहत आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग): अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। मिशन के शुभारंभ के समय शेष सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022-23 तक 8.39 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए थे। इसके अलावा, वर्ष 2023-24 में, लगभग 3 करोड़ परिवारों और वर्ष 2024-25 में (30.06.2024 तक) 31.28 लाख परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है। इस प्रकार, 30.06.2024 तक, देश के 19.30 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 14.93 करोड़ (77.31%) परिवारों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना थी।

वर्ष 2022-23, 2023-24 में और 2024-25 में 30.06.2024 तक लक्षित/शेष ग्रामीण परिवारों और नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए परिवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 22.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जल जीवन मिशन: वर्ष 2023-24 में आवंटित, राज्यों द्वारा आहरित केंद्रीय निधि और संसूचित उपयोग

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय हिस्सा					राज्य के हिस्से के अंतर्गत व्यय
		अथ शेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2.20	7.52	3.76	5.96	0.99	-
2.	आंध्र प्रदेश	397.70	6,530.49	793.57	1,191.27	862.09	940.04
3.	अरुणाचल प्रदेश	284.30	1,057.11	771.21	1,055.51	1,016.78	125.79
4.	असम		10,351.68	6,204.00	8,651.47	7,870.90	866.11
5.	बिहार	54.95	-	एनडी	54.95	एनआर	एनआर
6.	छत्तीसगढ़	273.99	4,485.60	2,885.56	3,159.55	2,639.44	2,627.64
7.	गोवा	0.92	11.25	11.25	12.17	11.76	11.25
8.	गुजरात		2,982.85	2,237.14	3,325.80	2,377.83	2,676.40
9.	हरियाणा	100.67	1,053.44	526.72	627.39	589.79	687.56
10.	हिमाचल प्रदेश	547.72	379.67	402.34	950.06	859.96	98.38
11.	जम्मू एवं कश्मीर	903.84	9,611.31	3,267.12	4,170.96	3,510.52	364.69
12.	झारखंड	529.38	4,722.76	2,875.35	3,404.73	3,140.70	3,291.53
13.	कर्नाटक		12,623.37	4,966.62	6,149.40	5,239.07	6,017.19
14.	केरल	900.69	1,342.36	671.18	1,571.87	1,465.41	1,448.53
15.	लद्दाख	280.68	477.11	131.07	411.75	346.73	-
16.	लक्षद्वीप	9.25	39.63	19.82	29.07	एनआर	-
17.	मध्य प्रदेश		10,297.86	5,419.90	6,479.96	6,388.57	6,390.54
18.	महाराष्ट्र		21,465.88	7,444.26	9,808.00	8,208.53	8,371.34
19.	मणिपुर	164.42	110.54	एनडी	164.42	119.49	18.75
20.	मेघालय	369.04	3,567.25	1,500.00	1,869.04	1,572.14	171.69
21.	मिजोरम	121.27	425.46	303.10	424.37	416.52	43.77
22.	नागालैंड	19.57	366.86	314.90	334.47	293.35	44.02
23.	ओडिशा	799.32	2,108.54	2,108.54	2,907.86	2,441.62	2,428.40
24.	पुदुचेरी	5.40	15.39	1.00	6.40	6.39	0.62
25.	पंजाब	-	479.02	119.76	119.76	103.79	166.43
26.	राजस्थान		3,019.94	250.00	3,681.61	2,899.24	3,904.02
27.	सिक्किम	79.29	634.55	251.61	330.90	318.98	29.67
28.	तमिलनाडु	813.45	3,615.56	2,617.10	3,430.55	2,607.29	2,601.54
29.	तेलंगाना	26.06	-	एनडी	26.06	एनआर	एनआर
30.	त्रिपुरा	227.01	1,773.40	744.18	971.19	860.09	105.25
31.	उत्तर प्रदेश		20,884.45	16,947.00	19,759.52	19,087.04	20,269.16
32.	उत्तराखंड	282.07	4,689.69	1,890.66	2,172.73	1,949.33	237.66
33.	पश्चिम बंगाल		3,806.29	4,206.29	5,957.35	5,004.16	5,155.11

दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव निधि का लाभ नहीं उठाता है

स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस   एनडी: आहरित नहीं   एनआर: संसूचित नहीं

जल जीवन मिशन: वर्ष 2024-25 में आवंटित, राज्यों द्वारा आहरित केंद्रीय निधि और संसूचित उपयोग

(16.07.2024 तक)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय हिस्सा					राज्य के हिस्से के अंतर्गत व्यय
		अथ शेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4.97	2.98	एनडी	4.97	एनआर	-
2.	आंध्र प्रदेश	329.17	2,520.97	एनडी	329.17	65.04	58.63
3.	अरुणाचल प्रदेश	38.73	217.82	32.67	71.40	15.36	0.01
4.	असम	780.57	5,198.78	779.82	1,560.39	1,251.48	138.56
5.	बिहार	54.95	-	एनडी	54.95	एनआर	एनआर
6.	छत्तीसगढ़	520.11	1,277.27	एनडी	520.11	एनआर	एनआर
7.	गोवा	0.40	4.32	एनडी	0.40	एनआर	एनआर
8.	गुजरात	947.97	2,420.14	एनडी	947.97	350.39	419.97
9.	हरियाणा	37.60	462.03	एनडी	37.60	3.83	7.49
10.	हिमाचल प्रदेश	90.10	916.53	एनडी	90.10	7.11	0.01
11.	जम्मू एवं कश्मीर	660.43	2,112.86	एनडी	660.43	327.82	एनआर
12.	झारखंड	264.03	2,114.22	एनडी	264.03	6.29	138.14
13.	कर्नाटक	910.33	3,804.41	एनडी	910.33	11.08	64.51
14.	केरल	106.45	1,949.36	292.40	398.85	301.25	296.72
15.	लद्दाख	65.02	624.78	एनडी	65.02	6.55	-
16.	लक्षद्वीप	29.06	0.75	0.11	29.17	एनआर	-
17.	मध्य प्रदेश	91.39	4,044.70	2,022.35	2,113.74	797.15	799.64
18.	महाराष्ट्र		5,352.93	802.94	2,402.41	371.31	536.21
19.	मणिपुर	44.93	-	एनडी	44.93	10.58	0.94
20.	मेघालय	296.90	653.60	एनडी	296.90	231.43	21.82
21.	मिजोरम	7.85	45.09	एनडी	7.85	5.12	1.95
22.	नागालैंड	41.12	39.75	एनडी	41.12	34.55	एनआर
23.	ओडिशा	466.24	2,455.94	एनडी	466.24	30.59	30.06
24.	पुदुचेरी	0.01	12.58	एनडी	0.01	एनआर	एनआर
25.	पंजाब	15.97	644.54	एनडी	15.97	0.24	एनआर
26.	राजस्थान	782.37	11,061.46	1,659.22	2,441.59	1,080.11	374.54
27.	सिक्किम	11.92	124.50	एनडी	11.92	0.17	0.02
28.	तमिलनाडु	823.25	2,438.89	एनडी	823.25	534.84	541.18
29.	तेलंगाना	26.06	-	एनडी	26.06	एनआर	एनआर
30.	त्रिपुरा	111.10	736.75	110.51	221.61	61.07	5.46
31.	उत्तर प्रदेश	672.48	12,621.95	3,786.59	4,459.07	3,132.04	2,315.59
32.	उत्तराखंड	223.40	1,016.80	152.52	375.92	67.31	एनआर
33.	पश्चिम बंगाल	953.19	5,049.98	1,514.99	2,468.18	1,015.58	1,029.51

दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव निधि का लाभ नहीं उठाता है

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस एनडी: आहरित नहीं एनआर: सूचित नहीं

अनुबंध-II

दिनांक 22.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2023-24 और 2024-25 में लक्षित ग्रामीण परिवारों और नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए परिवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(30.06.2024 तक)

(संख्या लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार	15/08/2019 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार	अगस्त 2019 में लक्षित/शेष ग्रामीण परिवार	नल जल कनेक्शन प्रदान किए ग्रामीण परिवार			नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार (एचएच)	
					22-23 तक	23-24 में	24-25 में	संख्या	% में
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.29	0.33	0.33	-	-	0.62	100.00
2.	आंध्र प्रदेश	95.45	30.74	64.70	35.43	3.86	0.06	70.11	73.45
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.29	0.23	2.06	1.54	0.52	-	2.29	100.00
4.	असम	71.42	1.11	70.31	30.83	22.95	2.19	57.09	79.76
5.	बिहार	166.30	3.16	163.14	155.92	1.27	-	160.35	96.08
6.	छत्तीसगढ़	50.00	3.20	46.80	17.72	18.05	0.24	39.21	78.33
7.	दादरा एवं नगर	0.85	0.00	0.85	0.85	-	-	0.85	100.00
8.	गोवा	2.63	1.99	0.64	0.64	-	-	2.64	100.00
9.	गुजरात	91.18	65.16	26.02	26.02	-	-	91.18	100.00
10.	हरियाणा	30.41	17.66	12.75	12.75	-	-	30.41	100.00
11.	हिमाचल प्रदेश	17.09	7.63	9.46	9.17	0.29	-	17.09	100.00
12.	जम्मू एवं कश्मीर	18.72	5.75	12.96	5.21	3.47	0.64	15.08	80.64
13.	झारखंड	62.19	3.45	58.74	16.90	11.93	1.31	33.60	53.90
14.	कर्नाटक	101.15	24.51	76.64	42.92	9.23	1.82	78.48	77.59

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार	15/08/2019 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार	अगस्त 2019 में लक्षित/शेष ग्रामीण परिवार	नल जल कनेक्शन प्रदान किए ग्रामीण परिवार			नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार (एचएच)	
					22-23 तक	23-24 में	24-25 में	संख्या	% में
15.	केरल	70.80	16.64	54.16	16.83	3.67	0.54	37.68	53.17
16.	लद्दाख	0.41	0.01	0.39	0.29	0.07	0.00	0.38	93.07
17.	लक्षद्वीप	0.13		0.13	-	0.11	0.01	0.12	88.71
18.	मध्य प्रदेश	111.88	13.53	98.35	43.86	11.30	2.19	70.89	63.39
19.	महाराष्ट्र	146.72	48.44	98.29	61.41	15.17	1.25	126.26	86.06
20.	मणिपुर	4.52	0.26	4.26	3.19	0.08	0.06	3.59	79.45
21.	मेघालय	6.51	0.05	6.47	3.03	1.91	0.20	5.18	79.59
22.	मिजोरम	1.33	0.09	1.24	1.01	0.23	-	1.33	100.00
23.	नागालैंड	3.69	0.14	3.55	2.29	0.75	0.11	3.29	90.53
24.	ओडिशा	88.68	3.11	85.57	49.54	12.06	0.62	65.33	73.65
25.	पुदुचेरी	1.15	0.94	0.21	0.21	-	-	1.15	100.00
26.	पंजाब	34.18	16.79	17.39	17.39	0.00	0.00	34.18	100.00
27.	राजस्थान	106.93	11.74	95.19	27.10	12.18	3.17	54.19	50.61
28.	सिक्किम	1.33	0.70	0.63	0.38	0.10	0.00	1.18	88.74
29.	तमिलनाडु	125.24	21.76	103.48	57.72	23.05	2.72	105.25	84.06
30.	तेलंगाना	53.98	15.68	38.30	38.30	-	-	53.98	100.00
31.	त्रिपुरा	7.49	0.25	7.24	4.34	1.32	0.18	6.09	81.26
32.	उत्तर प्रदेश	265.42	5.16	260.26	89.50	120.51	8.08	223.25	83.98
33.	उत्तराखंड	14.54	1.30	13.24	10.09	2.25	0.12	13.77	94.76
34.	पश्चिम बंगाल	175.09	2.15	172.94	56.60	22.92	5.75	87.41	49.90
	कुल	**19,30.33**	**3,23.63**	**16,06.70**	**8,39.33**	**2,99.26**	**31.28**	**14,93.50**	**77.31**

दिल्ली और चंडीगढ़ में कोई ग्रामीण आबादी नहीं है। स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस एचएच: परिवार

SHRI NEERAJ SHEKHAR: Sir, we can discuss that later. मेरा प्रश्न आ गया है। ...(**व्यवधान**)... बड़े महीनों बाद, बड़े सालों बाद मेरा प्रश्न आया है। ...(**व्यवधान**)... सर, यह क्या है? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Digvijaya Singhji, you are an experienced Member. ...(Interruptions)... Do you think casting such aspersions is right that everyone will speak? I have to decide. *...(Interruptions)...* Why are you rising, Mr. Shaktisinh? *...(Interruptions)...* What is this -- this side and this side? *...(Interruptions)...*

श्री नीरज शेखर : सर, मैंने बोल दिया है। अब मुझे प्रश्न पूछना है।

MR. CHAIRMAN: Before the hon. Minister speaks, मुझे यह बताते हुए दर्द है। मैं एक प्रश्न के ऊपर प्रश्नकर्ता के अलावा तीन सदस्यों को ही मौका दे सकता हूँ। मेरे पास जया जी की चिट आई, मैंने सिलेक्शन किया ...(**व्यवधान**)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, fix the priority also. Either keep it first-cum-first-served or otherwise. Let us know. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Digvijaya Singhji, please.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: This is my point of order. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: There is no point of order. *...(Interruptions)...* Now, hon. Minister. *...(Interruptions)...*

श्री सी. आर. पाटिल : महोदय, मेम्बर ने जो प्रश्न पूछा है, वह गुणवत्ता के संबंध में है। ...(**व्यवधान**)... सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए 10500 - वर्ष 2012 और इसके बाद के ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Digvijaya Singhji, you are a very senior Member. *...(Interruptions)...* All three have gone but none has gone to that side. *...(Interruptions)...* All three have gone to this side. *...(Interruptions)...* Mukul*ji,* what debate you are*...(Interruptions)...* All of your career must be on my carrier. *...(Interruptions)...* Okay, no, no. *...(Interruptions)...* सुनिए, सुनिए ...(**व्यवधान**)... Ask your question. *...(Interruptions)...* Nothing will go on record except what Mr. Shekhar says. Okay, Mr. Shekhar.

श्री नीरज शेखर : सर, मैं सबसे पहले मोदी सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)... सर, तकलीफ है ...(**व्यवधान**)... सर, यह मेरी समझ में नहीं आता है कि मोदी जी या गुजरात का नाम सुनते ही पता नहीं इन लोगों को सांप क्यों सूंघ जाता है। ...(**व्यवधान**)... मोदी जी इस देश के प्रधान मंत्री हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप सप्लिमेंटरी पूछिए। ...(**व्यवधान**)... नीरज जी, सप्लिमेंटरी ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज शेखर : देखिए सर, ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Neeraj*ji*, don't justify. *...(Interruptions)...* Supplementary! *...(Interruptions)...*

श्री नीरज शेखर : मोदी जी का नाम सुनकर इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Put your supplementary. *...(Interruptions)...* Put your supplementary. *...(Interruptions)...* नीरज जी, आप मेरी तरफ देखिए और आज खास तौर से देखिए। I am looking fairly attractive today.

श्री नीरज शेखर : सर, मैं जानता हूं।

श्री सभापति : हां, जानते हो न! और आज मैं ज्यादा ही अट्रैक्टिव हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सभापति महोदय, ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : सुरजेवाला जी, अब आपकी ही कमी थी। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज शेखर : सर, मैं फिर से बोलना शुरू करता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप अपना सप्लिमेंटरी पूछिए।

श्री नीरज शेखर : सर, मैं पूछ रहा हूं।

श्री सभापति : जी, पूछिए।

श्री नीरज शेखर : मैं मोदी सरकार का आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं। जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, उसको 70 साल लग गए। हर घर जल पहुंचाने का काम आजादी

के तुरंत बाद होना चाहिए था। ...(**व्यवधान**)... स्वच्छ पानी पीना सबका अधिकार है और यह अधिकार मोदी सरकार दे रही है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आपका प्रश्न क्या है?

श्री नीरज शेखर : सर, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं। मेरा जिला बलिया है, वहां आर्सेनिक पानी की समस्या है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : नीरज जी, आप इतनी बड़ी पार्टी के सदस्य हैं। ...(**व्यवधान**)... आप अपना प्रश्न पूछिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज शेखर : मेरे बलिया जिले में आर्सेनिक पानी की समस्या है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पानी की गुणवत्ता, जो हर घर जल जाएगा, उसकी गुणवत्ता के लिए केंद्र और राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी। ...(**व्यवधान**)... Don't force my hands. *...(Interruptions)...* Renuka*ji*, don't force my hands. *...(Interruptions)...*

श्री सी.आर. पाटिल: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि पानी की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित होती है और इस संबंध में क्या किया गया है। ...(**व्यवधान**)... सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए BIS IS 10500: 2012 और इसके बाद के संशोधनों का पालन करने की सलाह दी गई है। आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित बस्तियों में खाना पकाने और पीने के लिए अल्पकालिक उपाय करने की सलाह राज्यों को दी गई है। दूषित और जल जनित रोगों से छुटकारा पाने के लिए सभी आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों को सुरक्षित स्रोत से या अल्पकालिक नल या कनेक्शन से पानी दिया जा रहा है। पेयजल गुणवत्ता परीक्षण के लिए 2,157 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक मान्यता प्राप्त नेटवर्क उपलब्ध है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने नाममात्र दरों पर जनता द्वारा एकत्रित किए गए पेयजल नमूनों के परीक्षण के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण सुविधाएं खोल दी हैं। देश में महिलाओं की अग्रणी भूमिका है। राज्यों ने ग्राम पंचायतों को भी हर स्तर पर एक किट का उपयोग करते हुए जल गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए स्थानीय समुदाय की पांच महिलाओं की पहचान की है और उन्हें सुनिश्चित किया है। अब तक 5.5 लाख से अधिक गांवों में 25 लाख से अधिक महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दी गई है। जल गुणवत्ता प्रबंधन सुविधा प्रणाली निश्चित की गई है। ...(**व्यवधान**)... इस पोर्टल पर व्यक्ति अपना नमूना पंजीकृत कर सकता है और पानी के नमूने की जांच करने के लिए पास की प्रयोगशाला का चयन कर सकता है। इस पोर्टल को उस लिंक पर भी देखा जा सकता है, जो हमने दिया हुआ है। जल आपूर्ति पर भरोसा और विश्वास बढ़ाने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण के परिणाम भी सिटिज़न कॉर्नर के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। सिटिज़न कॉर्नर के माध्यम से जेजेएम डैशबोर्ड पर भी नागरिक देश के किसी भी कोने से अपने जल स्रोतों और नल से

मिलने वाले जल की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जल गुणवत्ता में हो रहे बदलाव का अवलोकन कर सकते हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : यह प्रश्न का जवाब है, आपने प्रश्न नहीं सुना। Very good. Supplementary Question No. 2, Mr. Neeraj, and you should be satisfied by a very comprehensive answer.

श्री नीरज शेखर : सर, मैं तो बधाई देना चाहता हूँ कि मंत्री जी पहली बार बोल रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आ गया होगा।

सर, मैं फिर से मोदी सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Second Supplementary. ...*(Interruptions)*... No; second supplementary.

श्री नीरज शेखर : सर, वही तो, मैं अभिनंदन से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि 2019 के पहले ...(**व्यवधान**)... *

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... एक सेकंड। आप बैठिए, बैठिए, बैठिए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए। बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्य, एक सेकंड। ...(**व्यवधान**)... Neeraj*ji*, you will force me. ...*(Interruptions)*... I may name. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... No. ...*(Interruptions)*... Please; sit down. ...*(Interruptions)*... Sit down. ...*(Interruptions)*... ऑनरेबल मेम्बर्स, दोनों तरफ के नेताओं से मेरा विशेष आग्रह है। ...(**व्यवधान**)... एक सेकंड, सुनिए तो सही। ...(**व्यवधान**)... Mr. Dangi, sit down. ...*(Interruptions)*... Mr. Dangi, sit down. ...*(Interruptions)*... Hon. Members. ...*(Interruptions)*... Hon. Members. ...*(Interruptions)*...

श्री नीरज डांगी : ये सबको टारगेट नहीं कर सकते। ये किसी को कुछ भी कह देंगे, यह कौन सा तरीका है? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप क्या कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... मेरा सदन में जो नेतागण हैं, नेता सदन एवं प्रतिपक्ष के नेतागण, मेरा अनुरोध है कि इतनी गिरावट नहीं लानी चाहिए। नेता अपने सदस्यों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं! कोई कुछ भी बोलेगा! अनुभवी नेता बोलेंगे, खड़े होकर बोलेंगे! यह कैसा सिस्टम कर लिया है कि बाहर कोई बच्चा भी देखेगा, तो शर्मसार हो जाएगा! क्वेश्चन ऑवर बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी हरेक से गुज़ारिश है कि आप अपना प्रश्न पूछिए। Now, Supplementary No. 2, please and look at me. ...*(Interruptions)*...

---

* Not Recorded

श्री नीरज शेखर : सर, मेरे बारे में ऐसे कोई कमेंट नहीं कर सकता और करेगा, तो मैं जवाब देने के लायक हूँ। मुझे इसके लिए किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Neeraj*ji*, Supplementary No. 2. ...*(Interruptions)*... Please. Supplementary No. 2.

श्री नीरज शेखर : सर, मैं फिर से मोदी सरकार का अभिवादन करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है - 'हर घर जल' से महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या इन्होंने कोई सर्वे कराया है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा सुविधा महिलाओं को हुई है? 2019 से पहले केवल 13 फीसदी घरों में नल से पानी जाता था, अब 78 फीसदी जाता है। क्या इससे महिलाओं को कोई फायदा हुआ है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ?

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी। मंत्री जी ने गति पकड़ ली है। आपने गति पकड़ ली है। पहले दिन थोड़ा सा होता है।

श्री सी.आर. पाटिल : महोदय, मैं तो जवाब को छोटा कर रहा था, ताकि समय बच जाए। यह प्रश्नोत्तर का समय महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं छोटा जवाब देना चाहता हूँ, मगर ये लोग रोक रहे हैं।

श्री सभापति : समय भी महत्वपूर्ण है और जल भी महत्वपूर्ण है।

श्री सी.आर. पाटिल : सर, हमारे माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण और जल जीवन मिशन में क्या सर्वे किया गया है और उसके क्या परिणाम आए हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी की यह जो योजना बनी है, उसके पहले से और आज भी, जल के विषय में राज्य सरकार का अपना अधिकार भी है और अपना कर्तव्य भी है, मगर इसमें देरी हुई थी। 70 साल तक हर गाँव में जो पानी जाना चाहिए था, वह नहीं पहुँच पाया, इसलिए केन्द्र सरकार की ओर से आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने यह योजना बनाई और इसके लिए पानी, फंड और टेक्निकल सहायता की व्यवस्था की। ग्रामीण घरों में पानी लाने और उसके इंतजाम की जिम्मेदारी सदियों से माताओं, बहनों और बेटियों के ऊपर लादी गई थी। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 5.5 करोड़ घंटे का समय इस कार्य में व्यर्थ हो जाता था, जिसमें 75 परसेंट समय महिलाओं का होता था। इनका जो प्रश्न था, इसके अंदर पहला फायदा महिलाओं को हुआ। इसका निदान पाने के लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री, मोदी जी ने जल जीवन मिशन की दूरगामी योजना शुरू की थी। मिशन की शुरुआत से ही इसमें महिलाओं की अग्रिम भागीदारी निर्धारित की गई है। चाहे योजना के स्तर पर हो या प्रशिक्षण में हो या स्वयं सहायता समूह के रूप में हो, हर जगह महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। जेजेएम में हमारे ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाया गया, सभी ग्राम में जल एवं स्वच्छता समितियों में कम से कम 50

परसेंट महिलाएँ हैं। लगभग 25 लाख महिलाओं को फील्ड टैस्टिंग किट का उपयोग करके पानी की गुणवत्ता जाँचने का प्रशिक्षण दिया गया है। जल संयंत्र के दीर्घकालीन रखरखाव के प्रशासन, परिचालन हेतु सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अग्रणी रूप से भागीदार बनाने हेतु ...

श्री सभापति : मंत्री जी, एक सेकंड। माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे बात मत कीजिए। ये वह पढ़ रहे हैं, जो प्रश्न पूछा गया कि इससे महिलाओं पर ...(**व्यवधान**)... आप पहले सुनिए। ...(**व्यवधान**)... आप सुनिए। प्रश्न यह था कि महिलाओं पर इसका क्या असर हुआ है और जवाब बिल्कुल उसी दृष्टि से है। ...(**व्यवधान**)... मंत्री जी, आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)... यह महिलाओं के लिए जरूरी है।

श्री सी.आर. पाटिल : सर, जल संयंत्र के दीर्घकालीन रखरखाव एवं परिचालन हेतु सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अग्रणी रूप से भागीदार बनाने हेतु राज्यों और केंद्र सरकार के द्वारा उनका पूरा उपयोग किया गया है। इस बात पर भी बल दिया गया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद की जाए। चूँकि महिलाओं को रोजाना जल की समस्या का सामना करना होता है, इसलिए उस समस्या को हल करने के लिए उनसे मदद ली भी जाए और उनको मदद दी भी जाए। तो महिलाओं की सहायता भी ली गई है, उनकी ओर से बहुत बड़ी सहायता मिली है। राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की ओर से यह एक बहुत बड़ा काम हुआ है, जिसकी वजह से महिलाओं का जो 75 परसेंट समय जाता था, उनको बहुत दूर से, कई किलोमीटर तक से पानी उठाकर लाना पड़ता था और वह पानी भी शुद्ध नहीं मिलता था - आज नल से जल देने की वजह से शुद्ध पानी, जो कि टैस्टेड है, वह पानी उनको मिल रहा है। प्रश्नकर्ता जो कह रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि 70 साल तक यह क्यों नहीं हुआ, यह प्रश्न भी पूछना चाहिए, मगर मोदी साहब ने इसको अब हल कर दिया है। हम और अच्छा तथा शुद्ध पानी देने की कोशिश करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Shri Mukul Wasnik, third supplementary question.

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : सर, माननीय मंत्री महोदय ने बड़े विस्तार से 'हर घर जल योजना' पर सवाल का जवाब दिया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इससे लोगों की प्यास नहीं बुझती।

श्री सभापति : आप सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछिए।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : सर, मैं जो जानना चाहता हूँ, वह मैं संक्षेप में पूछूँगा।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह हकीकत है कि आज भी 5 करोड़ से अधिक घरों में इस योजना के जरिए पीने का पानी नहीं पहुँचा है? क्या यह हकीकत है कि झारखंड में महज 47 फीसदी घरों तक ही इस योजना से जल पहुँचा है, राजस्थान में महज 45 फीसदी घरों तक ही जल पहुँचा है और बंगाल में सिर्फ 40 फीसदी घरों तक ही जल पहुँचा है?

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : अगर यह हकीकत है, तो इन राज्यों में और वे तमाम घर, जहाँ पर आज तक इस योजना के जरिए जल नहीं पहुँचा है, उसकी व्यवस्था कब तक होगी, क्योंकि इस योजना के जरिए 2024 तक यह काम पूरा होना था?

MR. CHAIRMAN: Thank you Mukul*ji*.

श्री सी.आर. पाटिल : सर, यह योजना जब बनी, तब से जो समय बीता है, उसके अंतर्गत टोटल 19 करोड़ घरों में पानी - यहाँ पर 19 करोड़ घर हैं। अभी दो साल के अन्दर सरकार की ओर से साढ़े 6 करोड़ घरों में पानी दिया गया है। ऐसी योजना 70 सालों में कभी भी नहीं आई थी। इस योजना के लिए दो साल में ही इतना बड़ा फंड देने के साथ, सरकार ने वह ग्रांट देकर राज्य सरकार का जो बोझ था, वह भी हल्का किया है। इसके अन्दर जो गाँव के लोग हैं, उनको जो पानी मिलता था - चूँकि पानी से ही सबसे ज्यादा रोग भी होते हैं, तो शुद्ध जल नहीं मिलने के कारण आरोग्य की सेवाओं में राज्य सरकार का जो खर्च होता था, उसमें भी बहुत कमी आई है। इससे उनकी सेहत भी अच्छी हो गई है, उनके बच्चों को भी अच्छा पानी मिल रहा है और इसके चलते बचपन से ही उनका बच्चा पोषित हो रहा है। **...(व्यवधान)...** मैंने आपको बताया कि 70 सालों में जो नहीं कर पाए थे, हम 2 साल के अन्दर साढ़े 6 करोड़ घरों में पानी पहुँचा चुके हैं। जो बाकी हैं, उनके अन्दर - यह राज्य सरकार का काम है, केंद्र सरकार की ओर से उनको टेक्निकल सहायता और फंड दिया जाता है। वह उनको पूरा दिया जा रहा है। सभी राज्य सरकारों ने अपना टेंडर जारी कर दिया है। उनके अपने किसी न किसी कारण से यह काम थोड़ा स्लो था, मैंने अभी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के साथ भी मीटिंग की है और उनको भी कहा है कि अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो, तो बताइए, परन्तु इस काम को जल्दी से पूरा करें। आदरणीय प्रधान मंत्री उसके लिए भी बहुत चिन्तित हैं और यह पूरी योजना जल्दी से लागू हो, उसके लिए पूरा प्रेस भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में राज्य सरकारें अगर जल्दी से अपना काम पूरा करेंगी, तो सबको नल से जल मिल जाएगा, शुद्ध जल मिल जाएगा।

श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण : सभापति महोदय, जल जीवन मिशन के तहत यह जो 'हर घर जल' का काम हो रहा है, यह पूरे देश में हो रहा है और कई राज्यों में अच्छा काम हो रहा है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। अभी इस सदन के दोनों तरफ से इस विषय पर जो चर्चा हुई है, उसमें स्पीडी इम्प्लिमेंटेशन का इश्यू है, जिसके ऊपर गंभीरता से देखने की आवश्यकता है - ऐसा मैं मानता हूँ। पहले इस संबंध में फोकस्ड अप्रोच और राशि की उपलब्धता बहुत बड़ा इश्यू था, लेकिन आज इस मद में 90 परसेंट पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है और सिर्फ 10 परसेंट राज्य सरकार को देना होता है।

MR. CHAIRMAN: What is your supplementary?

श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण : सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ काम हो रहा है, लेकिन जिस गति से काम होने की आवश्यकता है, उस गति से काम नहीं हो रहा है। इसमें इम्प्लिमेंटेशन का समय कहीं साल भर का है, कहीं डेढ़ साल का है, लेकिन दो-दो साल निकल गए और जिस स्पीड से काम होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। उसमें जो इश्यूज़ हैं, वे हैं कि आपने इसके लिए external audit agencies लगाई हैं, estimates बनाने के लिए agencies लगाई हैं। इसमें जो private agencies लगी हैं, उनसे जिस तरीके से काम करना अपेक्षित है, वे उस तरीके से काम नहीं करती हैं, इसीलिए इसके अमल होने में दिक्कतें आ रही हैं।

MR. CHAIRMAN: What is your supplementary?

श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण : सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से हमारी यह माँग है कि वे इस स्कीम के इम्प्लिमेंटेशन का रिव्यू करें और स्टेट गवर्नमेंट्स से उसमें ध्यान देने के लिए कहें।

दूसरी, जिन private agencies को काम दिया गया है, अगर वे काम नहीं करती हैं, तो उनके ऊपर एक्शन लें और समय के अंदर इस काम को पूरा करें तथा उसको राशि उपलब्ध करवाएं।

श्री सी. आर. पाटिल : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस संबंध में सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि सभी राज्यों के संबंधित मंत्री या मुख्य मंत्री तथा उनके अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग भी हो गई है। महाराष्ट्र के संबंधित मंत्री ने हमें कहा है कि हम बहुत जल्द ही उसको पूर्ण करेंगे। केन्द्र सरकार के यहाँ इससे संबंधित कोई भी काम पेंडिंग नहीं है और सभी राज्यों ने अपना टेंडरिंग का काम भी खत्म कर दिया है। डीआई पाईप आदि मैटीरियल्स के भाव बढ़ने के कारण कई कांट्रेक्टर्स को जो प्रॉब्लम्स थीं, उसकी भी पूर्ति राज्य सरकार करे - ऐसा हमने उसको बता दिया है और काम को जल्दी से आगे बढ़ाने के लिए कहा है। हमने कहा है कि जो अत्यंत आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग करके पहले यह चेक करे कि पानी कहाँ है और फिर वहीं पर बोर करे, वहीं सबमर्सिबल लगाए और वहीं सोलर भी लगाए, ताकि पावर नहीं होने के कारण पानी नहीं मिलने की समस्या नहीं हो। हमने यह भी कहा है कि ओवर हेड टंकी की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। कई जगहों पर जो बहुत पुअर काम हुआ था, उसको भी रिवाइज़ करने के लिए कहा गया है। अभी भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ रेडीमेड टैंक बनता है। सभी राज्यों को उसका भी उपयोग करने के लिए कहा गया है। अभी केन्द्र सरकार के स्तर पर कोई भी काम बाकी नहीं है। अब इम्प्लिमेंटेंशन का काम राज्य सरकार का ही है और राज्य सरकार इम्प्लिमेंटेंशन का काम कर रही है। हम सभी राज्यों के साथ इस विषय में बात करके उसको फॉलोअप भी कर रहे हैं। हमने भी इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई है, जो राज्यों में जाकर विजिट करती है, सर्वे करती है और टेक्नोलॉजिकल सहायता भी करती है।

MR. CHAIRMAN: Now, fifth supplementary; Shri Raghav Chadha.

श्री राघव चड्ढा : सर, इस सरकार ने काफी धूमधाम से 'हर घर जल' योजना की शुरुआत की थी और वादा किया था कि वर्ष 2022 आते-आते ग्रामीण इलाकों में हर घर को 'हर घर जल' योजना के तहत नल से पानी मिलेगा। वर्ष 2023 में इसी राज्य सभा के सदन के पटल पर माननीय मंत्री जी ने जवाब देते हुए यह बताया कि ग्रामीण इलाके के मात्र 52 प्रतिशत घर ऐसे हैं, जिन तक आज नल से जल पहुँचा है।

MR. CHAIRMAN: What is your supplementary?

श्री राघव चड्ढा : सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आज वर्ष 2024 आ गया है और आपने वर्ष 2022 तक 'हर घर जल' योजना के तहत नल से जल देने का वादा किया था, तो आज का इस संबंध में क्या आँकड़ा है? दूसरा, हम अभी 20 करोड़ rural households में से आधा में ही यह कर पाए हैं, अचीव कर पाए हैं।...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Your supplementary, Mr. Chadha?

श्री राघव चड्ढा : सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हम अभी भी हर घर नल से जल देने में इतने बुरे तरीके से क्यों विफल रहे हैं?

श्री सी. आर. पाटिल : महोदय, हमने पहले भी बताया कि जल देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उसे अपने फंड से यह काम करना था और 70 साल तक केन्द्र सरकार ने कभी भी इस मद में उसको आर्थिक मदद नहीं की, जिसके कारण यह काम नहीं हो रहा था। पहली बार आदरणीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा उसके लिए बजट में अलग से 2,04,000 करोड़ रुपए की बड़ी रकम की व्यवस्था की गई। इसके कारण इस काम में स्पीड भी आई है। आप देख सकते हैं कि आकांक्षी जिलों में नल जल योजना को प्राथमिकता दी गई और उनकी कवरेज, जो कि अगस्त, 2019 तक 28.38 लाख थी, यानी सिर्फ 7.8 परसेंट थी, वह बढ़कर अब 211.25 लाख, यानी 77.10 परसेंट हो गई है। इस प्रकार, इसके अंदर इतनी प्रोग्रेस हुई है कि यह 7 परसेंट से 77 परसेंट तक बढ़ी है। अगस्त, 2019 से लेकर फिलहाल तक इसकी कवरेज, जो 8 लाख से ऊपर बढ़ी है, वह राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी से ही संभव हुई है। जेजेएम ने गांवों में जाति, समुदाय और ऊँच-नीच की मानसिकता को तोड़ा है, क्योंकि यह एक समावेशी योजना है और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक ग्रामीण घरों में गुणवत्ता के आधार पर इसके अंतर्गत पानी दिया जाता है। जलापूर्ति राज्य का विषय है और जेजेएम के तहत सभी जलापूर्ति योजनाओं के डिजाइन, योजना आदि को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी उन पर है। भारत सरकार उन्हें वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है, उसका फॉलो अप करती है और उसकी मॉनिटरिंग भी करती है। आपने जो अपेक्षा की है, उसकी तरफ राज्य सरकारें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं।

MR. CHAIRMAN: The next supplementary is from Ms. Dola Sen; I am allowing her.

MS. DOLA SEN: Sir, I did not give my name.

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, I have given my name.

MR. CHAIRMAN: Look at my indulgence.

MS. DOLA SEN: Sir, I have given my name for Q. No. 3 regarding coal mines.

MR. CHAIRMAN: You do not want to raise on this?

MS. DOLA SEN: No, Sir.

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, she did not submit, I submitted. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: I thought you were interested as you were raising your hands. *...(Interruptions)...* Hon. Members, one minute. *...(Interruptions)...* When I find that on a Question, one hon. Member is raising hands, I hope to accommodate. *...(Interruptions)...* We will come to that.

MR. CHAIRMAN: Now, Question No.3.